

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1449 / 2013 / जयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत-तृतीय, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स हैन्ज इण्डिया प्रा0 लिमिटेड,
ई-168, रोड़ नं0 9, वी.के.आई. एरिया, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. के. बैद,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री मोती कोटवानी, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.


दिनांक : 01 / 08 / 2016

निर्णय

1. यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत-तृतीय, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 35/अपील्स-III/12-13/ई में पारित किये गये आदेश दिनांक 21.01.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2009-10 का कर निर्धारण आदेश वेट अधिनियम की धारा 25, 55, 58 के तहत दिनांक 21.02.2012 को पारित करते हुए, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से पेश किये जाने के कारण धारा 58 के तहत शास्ति रूपये 56,500/- एवं देय कर विलम्ब से जमा कराये जाने के कारण धारा 55 के तहत ब्याज रूपये 22,646/- का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2013 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 58 के तहत शास्ति एवं देय कर विलम्ब से जमा



लगातार.....2

कराये जाने के कारण धारा 55 के तहत ब्याज का आरोपण विधि अनुसार किया गया था। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए शास्ति एवं ब्याज अपास्त किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(92) एफ.डी/टैक्स/2011-46 दिनांक 15.09.2011 के द्वारा वर्ष 2009-10 से सम्बन्धित बिक्री विवरण प्रपत्र दिनांक 30.09.2011 तक प्रस्तुत कर दिये जाने की स्थिति में धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति एवं ब्याज को माफ किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जबकि प्रत्यर्थी द्वारा आलौच्य अवधि के समस्त बिक्री विवरण प्रपत्र दिनांक 30.09.2011 से पूर्व ही प्रस्तुत कर दिये गये थे। इसके बावजूद कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति एवं ब्याज आरोपित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है, जबकि अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त अधिसूचना के अनुसरण में आरोपित शास्ति एवं ब्याज को अपास्त किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।


5 उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण के सन्दर्भ में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(92) एफ.डी/टैक्स/2011-46 दिनांक 15.09.2011 का अवलोकन किया गया, जो निम्न प्रकार है :-

अधिसूचना

जयपुर, दिनांक : 15 सितम्बर, 2011

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 51क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(25)एफ.डी./टैक्स/11-169, दिनांक 30.03.2011 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, ऐसे व्यवहारियों, जिन्होंने 30-09-2011 तक वर्ष 2009-2010 से संबंधित समस्त विवरणियां फाइल कर दी हैं और समस्त शोध कर निक्षिप्त करा दिये हैं, द्वारा वर्ष 2009-2010 के लिए संदेय शास्ति की रकम और ब्याज का इसके द्वारा, अधित्यजन करती है।



[सं. एफ.12 (92)एफ.डी/टैक्स/2011-46]

राज्यपाल के आदेश से,

(हस्ताक्षर)

(डॉ. रवि कुमार एस.)

शासन उप सचिव

7. इसी प्रकार आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र संख्या एफ.16टैक्स/सीसीटी/11-241 दिनांक 16.5.2011 का बिन्दु संख्या 4 व 5 निम्न प्रकार है :-

Hon'ble Chief Minister (Finance Minister) at para 258 of the Budget Speech 2011-12 has announced that :-


4. **Levy of Penalty and Interest.-** The State Government vide notfn No. F.12(25)FD/Tax/11-01 dated 1-4-2011, as amended from time to time [S.No.V613], have waived penalty and interest levied or likely to be levied on filing of late return and/or late payment of tax for the dealers who have submitted their all returns including annual return or audit report as the case may be, up to 16.5.2011. **Thereafter, no penalty or interest shall be levied on late filing of return or late payment of tax against such dealer(s) on the condition that due tax has been deposited up to 16.5.2011 and all the returns including annual return or audit report, as the case may be, has been submitted up to 16.5.2011.**

5. **Procedure of Deemed Assessment.-** In all such cases, the AA shall verily the return in the manner prescribed in clause (3) above and shall make a note on the order sheet, after due verification that the net tax payable by the dealer, as per the return, has been deposited into the exchequer and all the returns including annual return or audit report, as the case may be, has been submitted by the dealer up to 16.5.2011, therefore, the dealer is being assessed with nil demand under the Deemed Assessment Scheme. Copy of such order sheet shall not be made available to the dealer unless directed by the Dy. Commissioner (Admn.)

8. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि की समस्त विवरणियां दिनांक 20.05.2010 तक अर्थात् दिनांक 30.09.2011 से पूर्व प्रस्तुत कर दी गयी थीं। ऐसी स्थिति में उक्त अधिसूचना/परिपत्र को दृष्टिगत रखते हुए, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति एवं ब्याज आरोपित किया जाना, पूर्णतया विधि विरुद्ध है। अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त अधिसूचना के अनुसरण में धारा 58 की शास्ति एवं ब्याज अपास्त किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

9. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।


01/08/2013
(मनोहर पुरी)
सदस्य